एन०रविशंकर,
सचिव, गृह

संख्या:-४०५/छः-पु०-५-९९-५१७/९७
गृह (पुलिस) अनुभाग -५
गोपनीय
लखनऊ : दिनांक :१ फरवरी, १९९९

प्रिय महोदय,

जिन व्यक्तियोंको पूर्व अपराधिक इतिहास होते हुए भी शस्त्र लाईसेंसों की संस्तुति की गई थी, उनके लाईसेंस निरस्त किये जाने की अपेक्षा गृह विभाग द्वारा की गई थी। यह भी अपेक्षा की गई थी, कि इन मामलो में दोषी संस्तुतकर्ता थानाध्यक्षों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय। कुछ मामलों में या तो कार्यवाही प्रारम्भ ही नहीं की गई है अथवा इस प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत न रखते हुए, सरसरी तौर पर मामलों को समाप्त कर दिया गया है।

आपके जनपद से अभी तक सम्बन्धित थानाध्यक्षों के नाम प्राप्त नहीं हुए सके हैं। यह स्थिति अत्यंत गम्भीर है । इस मामले मे समुचित समय प्रदान किया जा चुका है। कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि सम्बन्धित थानाध्यक्षों तथा उनके द्वारा संस्तुत शस्त्र लाईसेंसी का नाम प्रत्येक दशा में १५.२.९९ के पूर्व अवश्य शासन को उपलब्ध करा दिये जाये।

इस संबंध में यदि कोई सूचना अन्य जनपद से प्राप्त करनी हो तो किसी अधिकारी को विशेष तौर पर भेजकर इस कार्य को पूरा करा लिया जाय। यथा आवश्यकता इस संबंध में पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से सहयोग प्राप्त कर लिया जाय।

भवदीय,

N. Ravi Shankar

(एन०रविशंकर)

जिला मजिस्ट्रेट,(नाम से)